

पुलिस के बारे में शिकायतें

इस पत्रिका में बताया गया है कि यदि आप स्कॉटलैंड में पुलिस के बारे में कोई शिकायत करना चाहते हैं, तो क्या करना है।

इसमें यह भी बताया गया है कि इन शिकायतों पर कैसे कार्यवाही की जाती है।



one
scotland
SCOTTISH GOVERNMENT

मैं शिकायत कैसे कर सकता/सकती हूँ?

यदि आप समझते हैं कि किसी पुलिस फ़ोर्स या अन्य पुलिस संगठन ने वैसा कार्य-प्रदर्शन नहीं किया है जैसा कि आपने उम्मीद की थी, या यदि आप समझते हैं कि पुलिस सेवा के किसी सदस्य ने ग़लत ढंग से व्यवहार किया है या कोई अपराध किया है, तो शायद आप शिकायत करना चाहें।

यदि आपकी शिकायत किसी पुलिस फ़ोर्स या पुलिस फ़ोर्स के किसी सदस्य के बारे में है:

- ✓ संबंधित पुलिस फ़ोर्स के चीफ़ कॉन्सटेबल को पत्र लिखें, या
- ✓ किसी पुलिस स्टेशन में (या किसी पुलिस ऑफ़िसर को) जानकारी दें, या
- ✓ किसी सॉलिसिटर, अपने MSP या अपने स्थानीय काउंसिलर से निवेदन करें कि वे आपकी तरफ़ से चीफ़ कॉन्सटेबल के साथ मामले पर बातचीत करे, या
- ✓ यदि ऐसा प्रतीत होता है कि फ़ोर्स के किसी सदस्य ने शायद क़ानून तोड़ा है, तो एरिया प्रोक््युरेटर फ़िस्कल से संपर्क करें, या
- ✓ सिटीज़न्स एड्वाइस ब्यूरो में किसी से बात करें जो इस पत्रिका में बताए गए लोगों या स्थानों के नाम और पते भी आपको दे सकेगा।

यदि आपकी शिकायत किसी ऐसे पुलिस संगठन के बारे में है जो आठ पुलिस फ़ोर्सों में से कोई नहीं है (उदाहरण के लिए स्कॉटिश क्राइम और ड्रग एन्फ़ोर्समेन्ट एजेंसी):

- ✓ उस संगठन के मुखिया को पत्र लिखें, और यदि ज़रूरत पड़े, तो जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी सॉलिसिटर, MSP, काउंसिलर या सिटीज़न्स एड्वाइस से मदद लें।

मुझे क्या कहना चाहिए?

- ✓ अपनी शिकायत के बारे में जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कहें।
- ✓ वर्णन करें कि क्या हुआ था।
- ✓ कहें कि शिकायत वाली घटना या मामला कहाँ और कब हुआ था।
- ✓ किन्हीं भी गवाहों के नाम और पते दें (यदि आपके पास हैं)।
- ✓ संबंधित संगठन के किसी भी सदस्य का (सदस्यों के) नाम या पहचान दें (यदि पता हो और संबंधित हो)।

उसके बाद क्या होता है?

निम्नलिखित व्याख्या में बताया गया है कि जब शिकायत किसी पुलिस फ़ोर्स के बारे में हो, तो क्या होता है। अन्य पुलिस संगठनों में प्रक्रियाएँ कुछ प्रकार से मिलती-जुलती होंगी लेकिन अन्य प्रकार में अलग भी हो सकती हैं। शिकायत में शामिल संगठन इसके बारे में आपके किन्हीं भी प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे।

आम तौर पर शिकायतों की प्रक्रिया समझाने और आपको अपनी शिकायत पर बातचीत करने का अवसर देने के लिए आपके स्थानीय क्षेत्र का एक वरिष्ठ अधिकारी आपसे मिलने आएगा या आपको टेलिफ़ोन करेगा। जब संबंधित हो, यदि ऐसा प्रतीत हो कि कार्यवाही उचित थी, तो वरिष्ठ अधिकारी समझाने की कोशिश करेगा कि कोई विशेष कार्यवाही क्यों की गई थी। अनुभव से पता चला है कि बहुत सारे लोग पुलिस के कामों और ज़िम्मेदारियों की सीमा के बारे में या इस बारे में अनजान होते हैं कि कुछ विशेष कार्यवाहियों क्यों ज़रूरी होते हैं। कभी-कभी किसी वरिष्ठ अधिकारी से मिले स्पष्टीकरण के मदद मिल सकती है।

यदि आप दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट हों, तो आपकी

शिकायत को उसी समय समाप्त कर दिया जाएगा। आपको एक नोटबुक या दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा सकता है जिसमें पुष्टि की गई हो कि ऐसा करने से आप खुश हैं। जो कुछ हुआ है, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा।

अपराधिक व्यवहार के किसी भी आरोप का समाधान स्पष्टीकरण द्वारा नहीं किया जाएगा।

मेरी शिकायत को कौन देखेगा?

यदि उस चरण में मामलों का फ़ैसला नहीं होता है, तो आपकी शिकायत पर शायद संबंधित पुलिस फ़ोर्स के किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा विचार किया जाए। कथित ग़लत व्यवहार के मामलों में किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच-पड़ताल की जाएगी जो आपके से संबंधित नहीं होगा।

मेरी शिकायत पर कैसे कार्यवाही की जाएगी?

आपकी शिकायत पर कार्यवाही कर रहा व्यक्ति निम्नलिखित से बात कर सकता है:

- आपसे;
- किन्हीं गवाहों से या दुसरे लोगों से जिनके पास शिकायत के बारे में संबंधित जानकारी है;
- स्टाफ़ के किसी सदस्य (सदस्यों) से जिनके बारे में आपने शिकायत की है (यदि संबंधित हो तो)।

उसके बाद आपकी शिकायत पर कार्यवाही कर रहा व्यक्ति संबंधित शिकायत के प्रकार के लिए संपूर्ण ज़िम्मेदारी के वाले व्यक्ति को रिपोर्ट करेगा। ग़लत व्यवहार के आरोप वाली शिकायतों के लिए यह डेप्युटी चीफ़ कॉन्सटेबल या सीधा डेप्युटी को रिपोर्ट करने वाला कोई

नामांकित अधिकारी होगा। अन्य प्रकार की शिकायत के लिए, जिम्मेदार व्यक्ति आम तौर पर संबंधित विभाग, आदेश इकाई/क्षेत्र या विभाग का मुखिया होगा।

इस चरण में, ग़लत व्यवहार के आरोप वाली शिकायतों के लिए डेप्युटी चीफ़ कॉन्सटेबल या अन्य नामांकित अधिकारी निम्नलिखित कर सकता है:

- जाँच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, फ़ैसला कर सकता है कि किसी औपचारिक कार्यवाही की ज़रूरत नहीं है और आपको स्पष्टीकरण दे कर मामले को समाप्त कर दिया गया है या समाप्त कर दिया जाएगा; या
- उसे और अधिक जाँच-पड़ताल की ज़रूरत पड़ सकती है; या
- ग़लत व्यवहार या अनुशासनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत फ़ोर्स के किसी संबंधित सदस्य (सदस्यों) पर कार्यवाही कर सकता है; या
- यदि प्रतीत हो कि फ़ोर्स के किसी सदस्य (किन्हीं सदस्यों) ने शायद क़ानून तोड़ा है, तो केस को एरिया प्रोक््युरेटर फ़िस्कल के पास भेजा जाना चाहिए।

यदि आपकी शिकायत किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, तो संपूर्ण जिम्मेदारी वाला व्यक्ति जाँच कर सकता है कि क्या पुलिस फ़ोर्स द्वारा प्रदान की गई सेवा उसकी तुलना में अपर्याप्त या कम थी जिसकी कि आप उचित रूप से उम्मीद कर सकते थे और क्या इससे कोई सबक सीखा जा सकता है।

जो भी कार्यवाही की जाती है, उसके बारे में जितनी जल्दी संभव हो, आपको पुलिस फ़ोर्स द्वारा बता दिया जाएगा।

एरिया प्रोक्युरेटर फ़िस्कल

प्रोक्युरेटर फ़िस्कल सर्विस पुलिस से पूरी तरह स्वतंत्र होती है और इसके द्वारा जन हित में अपराधिक व्यवहार के आरोपों की जाँच - पड़ताल की जाती है। जब शिकायतकर्ता आरोप लगाता है कि **ड्यूटी के दौरान फ़ोर्स** के किसी सदस्य ने कोई अपराध किया है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में अपराध होने का आरोप लगाया गया है, उसके एरिया प्रोक्युरेटर फ़िस्कल द्वारा इसकी जाँच-पड़ताल की जाएगी। एरिया प्रोक्युरेटर फ़िस्कल मामले पर व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही कर सकता है या किसी अनुभवी प्रतिनिधि (डेप्यूट) को जाँच सौंप सकता है जो उसकी तरफ़ से काम करेगा और उसे रिपोर्ट करेगा। किसी पुलिस फ़ोर्स के सदस्य के विरुद्ध **ड्यूटी से बाहर** अपराधीकरण के आरोपों की रिपोर्ट, यदि उपयुक्त हो तो, उस डिस्ट्रिक्ट के प्रोक्युरेटर फ़िस्कल को की जाती है जहाँ कथित काम हुआ था। फिर प्रोक्युरेटर फ़िस्कल फ़ैसला करेगा कि इन परिस्थितियों में क्या कार्यवाही, यदि कोई हो तो, उपयुक्त है।

अपराधिक आरोप

पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त करने पर एरिया प्रोक्युरेटर फ़िस्कल निम्नलिखित करेगा:

- सबूत की जाँच करेगा;
- प्रोक्युरेटर फ़िस्कल सर्विस के किसी व्यक्ति का आपसे संपर्क कराएगा;
- विचार करेगा कि आगे क्या जाँच - पड़ताल की ज़रूरत है।

संबंधित फ़ोर्स के सदस्य (सदस्यों) के विरुद्ध सबूत की शक्ति को आँकने के लिए एरिया प्रोक्युरेटर फ़िस्कल को आपकी जानकारी की ज़रूरत होती है। आपको प्रोक्युरेटर फ़िस्कल ऑफ़िस में जा कर वहाँ किसी व्यक्ति से बात करने के लिए कहा जा सकता है।

केस की जाँच-पड़ताल करने के बाद एरिया प्रोक्युरेटर फ़िस्कल फ़ैसला करेगा कि केस की रिपोर्ट क्राउन ऑफ़िस (फ़िस्कल सर्विस का मुख्यालय) को करनी है या नहीं।

यदि किसी केस की रिपोर्ट क्राउन ऑफ़िस को नहीं की जाती है तो क्या होता है?

यदि केस की रिपोर्ट क्राउन ऑफ़िस को नहीं की जाती है, तो इसका अर्थ यह होता है कि कोई अपराधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जाएँगी। एरिया प्रोक्युरेटर फ़िस्कल आपको जानकारी देगा कि अपराध संबंधी कोई कार्यवाहियाँ नहीं होनी हैं। एरिया प्रोक्युरेटर फ़िस्कल मामले को वापिस फ़ोर्स के पास भी भेज देगा और यह फ़ैसला करना फ़ोर्स के ऊपर होता है कि क्या आंतरिक रूप से कोई कार्यवाही करने की ज़रूरत है।

यदि किसी केस की रिपोर्ट क्राउन ऑफ़िस को की जाती है, तो क्या होता है?

क्राउन काउन्सल (वरिष्ठ अभियोग वकील) केस पर विचार करेगा और फ़ैसला करेगा कि मुक़दमा चलाना है या नहीं। एरिया प्रोक्युरेटर फ़िस्कल ऑफ़िस द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी कि क्राउन काउंसल क्या फ़ैसला करता है। किसी अपराध के दोषी ठहराए गए पुलिस अधिकारियों और फ़ोर्स के अन्य सदस्यों को क़ानून के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति जैसे ही अधिकार होते हैं और उनके साथ उसी तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि केस कोर्ट में चला जाता है, तो आपको और किन्हीं अन्य गवाहों को गवाही देने के लिए कोर्ट जाना पड़ सकता है।

ग़लत व्यवहार/अनुशासनिक प्रक्रियाएँ

किसी फ़ोर्स के जिस सदस्य (जिन सदस्यों) के बारे में शिकायत की गई है, उन्होंने शायद कोई फ़ौजदारी अपराध न किया हो, लेकिन सही न समझे जाने वाले तरीके से व्यवहार किया हो। इन परिस्थितियों में, यदि उपयुक्त हो तो, व्यक्ति पर शायद अलग-अलग तरीकों से कार्यवाही की जाए जिनमें औपचारिक ग़लत व्यवहार/अनुशासनिक कार्यवाहियाँ शामिल हैं।

यदि मैं अपनी शिकायत वापिस लेना चाहता/चाहती हूँ, तो क्या होता है?

जहाँ भी संभव हो, आपको उस अधिकारी से बात करनी चाहिए जिससे आपने सबसे पहले शिकायत की थी। वैकल्पिक रूप से, आप संबंधित फ़ोर्स के अन्दर की शिकायतों के लिए जिम्मेदार विभाग को सूचित कर सकते हैं। यदि आपकी शिकायत के कारण अपराधिक कार्यवाहियाँ शुरू की गई हैं, तो जाँच-पड़ताल या कोई भी कार्यवाहियाँ जारी रखने का कोई भी फ़ैसला क्राउन ऑफ़िस और प्रोक्युरेटर फ़िस्कल सर्विस का होगा।

मैं किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के बारे में शिकायत कैसे कर सकता/सकती हूँ?

यदि आप किसी असिस्टेंट चीफ़ कॉन्सटेबल, डेप्यूटी चीफ़ कॉन्सटेबल या चीफ़ कॉन्सटेबल के व्यवहार के बारे में कोई शिकायत करना चाहते हैं, तो संबंधित फ़ोर्स के लिए आपको संबंधित पुलिस अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए। किसे और कहाँ पत्र लिखना है, इसके बारे में जानकारी इस पत्रिका के पीछे, स्थानीय लाइब्रेरियों में सिटीज़न्स एड्वाइस ब्यूरो में या संबंधित फ़ोर्स से संपर्क करके मिल सकती है।

झूठी शिकायतें

किसी भी व्यक्ति, जो जान-बूझ कर किसी पुलिस फ़ोर्स या पुलिस संगठन के किसी सदस्य के बारे में कोई झूठी शिकायत करता है, पर प्रोक्युरेटर फ़िस्कल द्वारा मुक़दमा चलाया जा सकता है (और शिकायत किए गए व्यक्ति द्वारा उस पर सिविल कार्यवाही की जा सकती है)।

मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी शिकायत के परिणाम-स्वरूप क्या हुआ है?

यदि आपकी शिकायत उन में से एक नहीं है जिस पर पूर्ण रूप से एरिया प्रोक्युरेटर फ़िस्कल द्वारा कार्यवाही की जाती है (ऊपर देखें), तो एक बार आपके मामले पर ध्यान देने का सारा काम पूरा हो जाने पर आप आपके प्रकार की शिकायत का सामान्य निरीक्षण करने के लिए ज़िम्मेदार पुलिस फ़ोर्स या संगठन के वरिष्ठ व्यक्ति से एक लिखित संदेश प्राप्त करने की उम्मीद रख सकते हैं। कुछ मामलों में, खास तौर पर जहाँ बहुत से अलग-अलग विषय शामिल हों, इस में कुछ समय लग सकता है।

यदि मैं पुलिस द्वारा मेरी शिकायत पर की गई कार्यवाही के तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना है?

यदि आप स्कॉटलैंड में किसी पुलिस फ़ोर्स या पुलिस संगठन द्वारा आपकी शिकायत पर की गई कार्यवाही के तरीके से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उस शिकायत को पुलिस कंप्लेन्ट्स कमिश्नर फॉर स्कॉटलैंड (PCCS) के पास भेज सकते हैं।

Police Complaints Commissioner for
Scotland
PO Box 26300
Hamilton
ML3 3AR

फ़्रीफ़ोन 0808 178 5577
enquiries@pcc-scotland.org
www.pcc-scotland.org

कमिश्नर की भूमिका है पुलिस फ़ोर्स द्वारा उस शिकायत पर की गई कार्यवाही के तरीके का पुनर्निरीक्षण करना। इस पुनर्निरीक्षण के परिणाम पर निर्भर करते हुए कमिश्नर को शायद केस पर पुनर्विचार करने के ज़रूरत पड़े और वह निर्देश दे कि उस पुनर्विचार को कैसे संचालित किया जाता है।

हालाँकि, कमिश्नर ऐसे किसी आरोप पर विचार नहीं कर सकता है जिसमें किसी अपराधिक काम को सत्य मान लिया जाता है क्योंकि यह क्राउन ऑफ़िस और प्रोक्युरेटर फ़िस्कल सर्विस का मामला है।

पुलिस फ़ोर्स

सेन्ट्रल स्कॉटलैंड पुलिस (Central Scotland Police)

Randolphfield, Stirling FK8 2HD

टेलिफ़ोन: 01786 456000

डमफ्राइज़ एन्ड गैलोवे कॉन्सटेबुलरी

(Dumfries & Galloway Constabulary)

Cornwall Mount, Dumfries DG1 1PZ

टेलिफ़ोन: 01387 252112

फाइफ़ कॉन्सटेबुलरी (Fife Constabulary)

Detroit Road, Glenrothes KY6 2RG

टेलिफ़ोन: 01592 418888

ग्रैम्पियन पुलिस (Grampian Police)

Queen Street, Aberdeen AB10 1ZA

टेलिफ़ोन: 0845 600 5700

लोथियन एवं बोर्डर्ज़ पुलिस (Lothian & Borders Police)

Fettes Avenue, Edinburgh EH4 1RB

टेलिफ़ोन: 0131 311 3131

नोर्दर्न कॉन्सटेबुलरी (Northern Constabulary)

Old Perth Road, Inverness IV2 3SY

टेलिफ़ोन: 01463 715555

स्ट्रैथक्लाइड पुलिस (Strathclyde Police)

173 Pitt Street, Glasgow G2 4JS

टेलिफ़ोन: 0141 532 2000

टेसाइड पुलिस (Tayside Police)

PO Box 59, 4 West Bell Street

Dundee DD1 9JU

टेलिफ़ोन: 01382 223200

पुलिस अथॉरिटीज

सेन्ट्रल स्कॉटलैंड जॉयन्ट पुलिस बोर्ड

(Central Scotland Joint Police Board)

Falkirk Council, Municipal Buildings

Falkirk FK1 5RS

टेलिफ़ोन: 01324 506078

डमफ्राइज़ एन्ड गैलोवे पुलिस एंड फायर एंड रेस्क्यू अथॉरिटी

(Dumfries & Galloway Police and Fire and Rescue Authority)

Dumfries & Galloway Council, English Street

Dumfries DG1 2DD

टेलिफ़ोन: 01387 260001

फाइफ़ काउंसिल कम्युनिटी सेफ़्टी कमेटी

(Fife Council Community Safety Committee)

Fife House, North Street, Glenrothes

Fife KY7 5LT

टेलिफ़ोन: 01592 416303

ग्रैम्पियन जॉयन्ट पुलिस बोर्ड

(Grampian Joint Police Board)

Aberdeen City Council, Town House

Aberdeen AB10 1AQ

टेलिफ़ोन: 01224 523031

लोथियन एन्ड बोर्डर्स जॉयन्ट पुलिस बोर्ड

(Lothian & Borders Joint Police Board)

City of Edinburgh Council, Waverley Court

4 East Market Street, Edinburgh EH1 1DE

टेलिफ़ोन: 0131 469 3002

नॉदर्न जॉयन्ट पुलिस बोर्ड **(Northern Joint Police Board)**

Highland Council, Glenurquhart Road

Inverness IV3 5NX

टेलिफ़ोन: 01463 702012

स्ट्रैथक्लाइड जॉयन्ट पुलिस बोर्ड

(Strathclyde Joint Police Board)

Room 64, City Chambers

Glasgow G2 1DU

टेलिफ़ोन: 0141 287 4167

टैसाइड जॉयन्ट पुलिस बोर्ड **(Tayside Joint Police Board)**

Angus Council, Angus House

Orchardbank, Forfar DD8 1AN

टेलिफ़ोन: 01307 476265

स्कॉटिश इकाइयाँ

क्राउन ऑफिस एन्ड प्रोक्युरेटर फिस्कल सर्विस

(Crown Office and Procurator Fiscal Service)

25 Chambers Street, Edinburgh EH1 1LA

टेलिफोन: 0131 226 2626

स्कॉटिश क्राइम एवं ड्रग एन्फोर्समेन्ट एजेंसी

(Scottish Crime & Drug Enforcement Agency)

Osprey House, Inchinnan Road

Renfrew PA3 2RE

टेलिफोन: 0141 302 1000

स्कॉटिश एग्जीक्यूटिव (The Scottish Executive)

St Andrew's House, Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

टेलिफोन: 08457 741741

स्कॉटिश पुलिस सर्विसिज़ अथॉरिटी

(Scottish Police Services Authority)

टेलिफोन: 0141 582 1103

यूके बाँडीज़

ब्रिटिश ट्रान्सपोर्ट पुलिस (British Transport Police)

90 Cowcaddens Road, Glasgow G4 0LU

टेलिफोन: 0800 405040

सिविल न्यूक्लियर कॉन्सटेबुलरी

(Civil Nuclear Constabulary)

Culham Science Centre, Abingdon

Oxfordshire OX14 3DB

टेलिफोन: 01235 466755

मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स पुलिस

(Ministry of Defence Police)

Wethersfield, Braintree, Essex CM7 4AZ

टेलिफोन: 01371 854000

सीरियस ऑरगनाइज़्ड क्राइम एजेंसी

(Serious Organised Crime Agency)

PO Box 8000, London SE11 5EN

टेलिफोन: 0870 734 6138

यह दस्तावेज़ एक मार्गदर्शक के इरादे से तैयार किया गया है और इसमें हर एक जानकारी शामिल नहीं है। इसलिए इसे पुलिस व्यवहार, प्रक्रिया या क़ानून का एक विस्तृत विवरण नहीं माना जाना चाहिए।



The Scottish
Government

© Crown copyright 2007

यह दस्तावेज़ स्कॉटिश एग्ज़ीक्यूटिव वेबसाइट पर भी उपलब्ध है:
www.scotland.gov.uk

RR Donnelley B53189 10/07 (Hindi)

इस अनुवाद को मूल दस्तावेज़ का बिल्कुल सही चित्रण (अर्थ) माना गया है।

ISBN 978-0-7559-1580-4



9 780755 915804

www.scotland.gov.uk